INDIA

एक रुपया | एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

12-5-05

वसीयतनामा

मन्निक गंगासिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह उम्र लगभग 78
वर्ष निवासी ग्राम पाडौन तहसील गुना जिला गुना —
मध्यप्रदेश का हूँ। चूंकि मेरी उम्र जईफी को पहुँच
चुकी है ना जाने कब जान जिस्म से जुदा हो
जाय। ऐसी दशा में मन मुक्कर अपनी जायदाद का उचित
प्रबन्ध करना चाहता है। मुक्कर की कुछ सम्पत्ति —
आराजी जो अचल के रूप में है वह ग्राम अशरफपुर
परगना व तहसील मनकापुर जिला गोण्डा में स्थित है।
जिसका मुक्कर मालिक काबिज व काबिज है। चूंकि
राजा रघुराज सिंह मुक्कर के सगे नाना थे और राजा
रघुराज सिंह डिग्री कालेज सोसाईटी अशरफपुर, मनकापुर
जिला गोण्डा उनके नाम की सोसाईटी है। मुक्कर की
अन्तिम इच्छा है कि मेरी मृत्यु के उपरान्त ग्राम
अशरफपुर परगना व तहसील मनकापुर जिला गोण्डा
की समस्त सम्पत्ति राजा रघुराज सिंह डिग्री —

K.V. Singh

Raja Raghuraj Singh College of Pharmacy
Ashrafpur, Mankapur-Gonda (U.P.)

Principal

266

12/5/2005

बयान/पंचनामा

गंगा सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह सा. पाडौन तह.

पोहरी [illegible] जिला गुना मध्य प्रदेश

[illegible] 20 6

[illegible]

[illegible] 120/[illegible]

गंगा सिंह [illegible] महेन्द्र सिंह [illegible] पाडौन [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] प्रस्तुत किया।

12.5.05

[illegible] श्री गंगा सिंह [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

12

[illegible]

INDIA

एक रुपया

एक रुपया

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

कालेज सोसाइटी अशरफपुर, मनकापुर जिला गोण्डा
के नाम अभिलेखों में दर्ज है। राजा रघुराज सिं
डिग्री कालेज सोसाइटी अशरफपुर, मनकापुर जिला
गोण्डा के नाम इस वसीयतनामा अन्तिम इच्छा के
आधार पर दर्ज सम्पत्ति के सरबराहकार श्री कीर्ति वर
सिंह पुत्र श्री आनन्द सिंह निवासी मनकापुर कोटपा
व तहसील मनकापुर जिला गोण्डा होंगे।
यह मुकिर की अन्तिम वसीयतनामा है। अगर मेरे
जायदाद के बाबत जो ग्राम अशरफपुर परगना व तह
मनकापुर जिला गोण्डा में स्थित है के बारे में को
भी व्यक्ति अपना दावा या हक पेश करेगा तो वह अदाल
में जाली व फर्जी व नाजायज माना जाय।

अतः मन मुकिर ने खुशी व तन्दुरुस्ती बिना कि
जब्र दबाव के यह वसीयतनामा समक्ष गवाह
शामिल तहरीर कर दिया कि सनद रहे और समय
पर काम आवे। ता॰ तहरीर 12-05-2005 ई॰ लेख
श्री मां राम मिश्र व॰ न॰ मनकापुर लेख॰ न॰ 2 ली
गई फीस दस रुपया मात्र।

K.V. Singh
Chairman
Raja Raghuraj Singh College of Pharmacy
Ashrafpur, Mankapur-Gonda (U.P.)

Principal
Raja Raghuraj Singh College of Pharmacy
Ashrafpur, Mankapur-Gonda (U.P.)

267

12/5/2005

266

12-5-05

40 107/110

90

न्यायालय : - तहसीलदार,न्यायिक
मण्डल :देवीपाटन , जनपद :गोंडा , तहसील :मनकापुर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202108300705466
वाद संख्या:- 5466/2021
राजा रघुराज सिंह डिग्री कालेज बनाम गंगा सिंह
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 35
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 20/05/2022

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्राप्त पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर दिनांक 12.07.2021 को प्रस्तुत किया गया वाद दर्ज मिसिलबंद कर इश्तिहार जारी किया गया जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। साक्ष्य एव पैरवी के आभाव में दिनांक 27.08.2021 को वाद निरस्त कर दिया गया है। वादी द्वारा पुन: बाजदायर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकार करते हुये वाद की कार्यवाही मूल वाद पर प्रारम्भ की गयी अंदर मियाद कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई है। वाद निर्विवाद है। वादी द्वारा साक्ष्य मे मृत्यु प्रमाण पत्र, बयान हासिया गवाह, बयान वादी बयान लेखपाल, दर्ज कराया जो संलग्न पत्रावली है। वादी का साक्ष्य पूर्ण है। ऐसा कोई तथ्य सामने नही आता है जिससे नामांतरण पर विपरीत प्रभाव पडता है अत: नामांतरण आदेश पारित करने में कोई विधिक अडचन नही है।

<u>आदेश</u>

अत: आदेश किया जाता है। कि ग्राम अशरफपुर परगना व तहसील मनकापुर जनपद गोण्डा की खतौनी वर्ष 1424-1429 फसली के खाता संख्या- 75 व 76 से मृतक गंगा सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी पडौना तहसील व जिला गुना मध्य प्रदेश का नाम खारिज करके उनके स्थान पर राजा रघुराज सिंह डिग्री कालेज सोसाइटी अशरफपुर मनकापुर जिला गोण्डा संरक्षक श्री कीर्तिवर्धन सिंह पुत्र कुंवर आनन्द सिंह निवासी मनकापुर कोट परगना व तहसील मनकापुर जिला गोण्डा का नाम बतौर पंजीकृत वसीयत नामा दिनांक 12.05.2005 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक -

तहसीलदार
मनकापुर गोण्डा

<u>Disclaimer :</u>

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

CamScanner